मुल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

बइजलास श्री विनोद कुमार मल्होत्रा **(R.A.S.)** उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

प्रकरण संख्याः—22 / 2018

1. श्रीमती अम्बाबाई बेवा गणपतलाल जाति माली निवासी छोटीसादड़ी तहसील छोटीसादड़ी जिला—प्रतापगढ़ राज0
2. श्री रोडमल पिता श्री गणपतलाल जाति माली निवासी छोटीसादड़ी तहसील छोटीसादड़ी जिला—प्रतापगढ़ राज0
3. श्री शान्तिलाल पिता श्री गणपतलाल जाति माली निवासी छोटीसादड़ी तहसील छोटीसादड़ी जिला—प्रतापगढ़ राज0

—— वादीगण

बनाम

1. श्री अशरफमीर खॉ पिता श्री शोकतमीर खॉ जाति मुसलमान निवासी छोटीसादड़ी हाल मुकाम सैलाना जिला रतलाम म0 प्र0
2. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

—— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88—188—209 आर.टी.एक्ट

दिनांकः—15.07.2021

यह मुकद्मा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी बइजलास श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस. व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री धर्मचन्द नाहर मिनजानिब मुदई पेश होकर हुक्म दिया जाता है एवं डिक्री की जाती है मौजा चक—मोहम्मदपुरा पटवार हल्का स्वरूपंगज तहसील छोटीसादड़ी में आराजी संख्या 29 रकबा 0.30 हैक्ट0 एवं आराजी संख्या 30 रकबा 0.05 हैक्ट0 पर वादीगण को प्रतिवादीगणों के विरूद्ध खातेदार काश्तकार घौषित किया जाता है। तथा तहसीलदार छोटीसादड़ी को आदेशित किया जाता है कि मौजा चक—मोहम्मदपुरा पटवार हल्का स्वरूपंगज तहसील छोटीसादड़ी में आराजी संख्या 29 रकबा 0.30 हैक्ट0 एवं आराजी संख्या 30 रकबा 0.05 हैक्ट0 पर प्रतिवादीगणों के नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित कर वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबद्ध किया जाता है कि वादीगणों की आराजियात में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी न करें एवं न ही करावें। खर्चा पक्षकार अपना—अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 15.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी की गयी।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी — प्रतापगढ़ (राज0)

वाद का खर्च

मुदई			मुदायल		
	रूपया	पैसे		रूपया	पैसे
1 स्टाम्प आराजी दावा 2 स्टाम्प वकालात नामा 3 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 4 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 5..... रूपये पर प्लीडर की फीस 6 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 7 कमिश्नर की फीस 8 आदेशिका की तामिल	01 02		1 स्टाम्प आराजी दावा 2 स्टाम्प वकालात नामा 3 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 4 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 5..... रूपये पर प्लीडर की फीस 6 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 7 कमिश्नर की फीस 8 आदेशिका की तामिल		
जोड़	03		जोड़		

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़ (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः–22 / 2018

1. श्रीमती अम्बाबाई देवा गणपतलाल जाति माली निवासी छोटीसादड़ी तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
2. श्री रोडमल पिता श्री गणपतलाल जाति माली निवासी छोटीसादड़ी तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
3. श्री शान्तिलाल पिता श्री गणपतलाल जाति माली निवासी छोटीसादड़ी तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0

—— वादीगण

बनाम

1. श्री अशरफमीर खॉ पिता श्री शोकतमीर खॉ जाति मुसलमान निवासी छोटीसादड़ी हाल मुकाम सैलाना जिला रतलाम म0 प्र0
2. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

—— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88–188–209 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः– श्री धर्मचन्द नाहर– अभिभाषक वादी

निर्णय

दिनांक 15.07.2021

1. वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर.टी.एक्ट. में पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा चक–मोहम्मदपुरा पटवार हल्का स्वरूपंगज तहसील छोटीसादड़ी में आराजी संख्या 29 रकबा 0.30 हैक्ट0 एवं आराजी संख्या 30 रकबा 0.05 हैक्ट0 जिसके पूराने आराजी नंबर 11/5 थे को वादीगण के पिता स्व गणपतलाल पिता देवाजी ने दिनांक 01.01.1968 को जरिये रजिस्ट्र्ड विकय पत्र से प्रतिवादी कमांक

01 के पिता शौकतमीरखा पिता शहजादमीरखा से खरीदी थी तथा उसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन विक्रय पत्र में उक्त आराजी के नंबर गलत दर्ज कर दिये थे लेकिन विक्रय पत्र में लिखे पडोसियान क्रमशः पूर्व–उत्तर–दक्षिण में प्रतिवादी स्वंय की आराजीयात है। एवं पश्चिम में सरहद छोटीसादड़ी है। उक्त पडोसियान में मध्य आराजीयात खरीदी थी एवं मौके पर भी वेसे ही काबिज है। वादग्रस्त आराजी के पुराने नम्बर 11/5 का नामान्तकरण संख्या 38 दिनांक 02.02.1985 को वादीगण 01 एवं 02 के पिता एवं वादी क्रमांक 03 के पति स्व. गणपतलाल माली के नाम खोला गया था लेकिन सेटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान उक्त आराजी को पुनः प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दिया है जबकि प्रतिवादी का विक्रय के बाद कभी भी कब्जा नहीं रहा था। अतः उक्त विवादाग्रस्त आराजी को वादीगणों के नाम दर्ज कराने की डिक्री पदान कि जावे।

2. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को बाद जॉच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन सुचित किया गया प्रतिवादी संख्या 01 की तरफ से अभिभाषक ने अन्डरटेकिग की गई एवं पत्रावली को अधिकार पत्र एवं जवाब पेश करने हेतु नियत किया लेकिन कोई जवाब पेश नहीं किया गया एवं दिनांक 01.01.2021 को प्रतिवादी की तरफ से राजीनामा के तौर पर शपथ–पत्र पेश कर बताया कि उक्त आराजी को मेरे पिता स्व. शोकतमीर खा ने वादीगण 01 एवं 02 के पिता एवं वादीक्रमांक 03 के पति स्व. गणपतलाल माली को विक्रय कंर दी थी । वादीगण ने वाद पेश किया जिसमें वादीगणों के पक्ष में डिक्री की जावें जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आराजी पर कभी भी मेरा कब्जा नहीं रहा है।

3. पत्रावली में वादीगण द्वारा संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया विक्रय पत्र दिनांक 01.01.1968 का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त आराजी को वादीगण के पिता ने प्रतिवादी क्रमांक 01 के पिता से खरीदी थी। नामान्तकरण संख्या 38 दिनांक 02.02.1985 का अवलोकन किया गया जिसमे अंकित है कि उक्त आराजी का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण के पिता के नाम नामान्तकरण

किया गया था एवं प्रतिवादी की तरफ से प्रस्तुत शपथ पत्र में भी प्रतिवादी ने वादीगण के पक्ष में डिक्री किया जाने की सहमति जताई है।

4. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण के पिता एवं वादीगण के पिता की मृत्यु के वाद वादीगण ही उक्त आराजी के स्वामी है। सेटलमेन्ट विभाग की गलती से उक्त आराजी प्रतिवादी के नाम दर्ज हो गई है। आराजी संख्या 29 रकवा 0.30 हैक्ट0 एवं आराजी संख्या 30 रकवा 0.05 हैक्ट0 पर राजस्व रेकार्ड में वादीगणों का नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

5. अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा चक–मोहम्मदपुरा पटवार हल्का स्वरूपंगज तहसील छोटीसादड़ी में आराजी संख्या 29 रकवा 0.30 हैक्ट0 एवं आराजी संख्या 30 रकवा 0.05 हैक्ट0 पर वादीगणों को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा तहसीलदार छोटीसादड़ी को आदेशित किया जाता है कि आराजी संख्या 29 रकवा 0.30 हैक्ट0 एवं आराजी संख्या 30 रकवा 0.05 हैक्ट0 पर प्रतिवादीगण के नाम विलोपित कर राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम अमल दरामद किया जावें एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वादीगणों की आराजियात में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी न करें एवं न ही करावें। ड्रिकी पृथक से जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.07.2021 को सरे इजलास सुनाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़